# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3620/दो/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 9.9.2014 – पारित व्दारा नायव तहसीलदार अम्वाह, जिला मुरैना – प्रकरण कमांक 09/2013–14 अ–12

1– रामेश्वर सिंह 2– द्वारिका सिंह
3– दर्शन सिंह 4– पुलन्दर सिंह
सभी पुत्रगण लालसिंह तौमर
5– कमल सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह
6– शिवराज 7– रामपाल
8– अजयपाल सिंह सभी
पुत्रगण लायकसिंह
निवासी ग्राम भिडौसा
तहसील अम्वाह जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

शेरसिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह तौमर
ग्राम भिडौसा तहसील अम्वाह जिला मुरैना ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जितेन्द्र त्यागी)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)

आ दे श

(आज दिनांक 15 – 10 – 2015 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार अम्वाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 09/2014–14 अ–12 में पारित आदेश दिनांक 9.9..2014 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय अम्वाह में आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम भिडौसा स्थित उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 1035,1123,1120,1126,1128 है जिसकी मेड़ नष्ट हो चुकी है सीमा विवाद की संभावना है इसलिये भूमि का सीमांकन किया जाय। नायव तहसीलदाार अम्वाह ने प्रकरण कमांक 09/2014-14 अ-12 पंजीबद्व किया तथा सीमांकन किये जाने हेतु दल गठित कर मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की, जिस पर आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की। नायव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 9-9-14 पाारित किया तथा आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति निरस्त करते हुये आवेदक की भूमि के सीमांकन हेतु अधीक्षक भू अभिलेख के निर्देश्न में सीमांकन दल गठित करने का निर्णय लिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर यह तथ्य निर्विवाद है कि अनावेदक ग्राम भिडौसा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1035,1123,1120,1126,1128 का भूमिस्वामी है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में प्रावधान किया गया है कि तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिये सशक्त हो, किसी हितबद्व पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखण्ड या भू-खंड की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमाचिन्ह सन्निर्मित कर

सकेगा। अनावेदक ने स्वयं् के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराना चाहा है एंव अंतरिम आदेश दिनांक 9-9-14 से नायव तहसीलदार ने सीमांकन हेतु अधीक्षक भू अभिलेख के निर्देशन में सीमांकन दल गठित करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में आवेदकगण की आपत्ति है कि बंदोवस्त के दौरान नक्शा त्रृटिपूर्णा बना है जिसके कारण सीमांकन में गड़बड़ी होगी एंव आवेदकगण की भूमि पर अनावेदक का आधिपत्य हो जावेगा। यदि बंदोवस्त के दौरान नक्शा निर्माण में किसी प्रकार की त्रृटि है, आवेदकगण नक्शा त्रृटि के सुधाार हेतु सक्षम न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं एंव नक्शे में सुधार कराने हेतु स्वतंत्र हैं, किन्तु अनावेदक को स्वंय् के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि के सीमांकन कराने की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता और इन्हीं कारणों से नायव तहसीलदार ने आवेदकगण की आपत्ति अमान्य करके सीमांकन दल गठित करने का निर्णय लेने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार अम्वाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 09/2014-14 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 9.9..2014 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर